भारत सरकार
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 542
जिसका उत्तर 23 जुलाई, 2025 को दिया जाना है।
1 श्रावण, 1947 (शक)

ऑफशोर ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म

542. श्री कृष्ण प्रसाद टेन्नेटीः

क्या **इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कानूनी कौशल वाली गेमिंग कंपनियों के विपरीत भारतीय कर और विनियामक मानकों का अनुपालन किए बिना कार्य कर रहे ऑफशोर ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफार्मों की बढ़ती उपस्थिति पर ध्यान दिया है;
(ख) यदि हाँ, तो देश भर में विगत पाँच वर्षों के दौरान पहचान किए गए और अवरुद्ध किए गए ऐसे प्लेटफ़ॉर्म की राज्यवार सूची का ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार ने मिरर वेबसाइटों के माध्यम से ऐसे प्लेटफार्मों के पुनः उभरने को रोकने के लिए एक सुदृढ़ तंत्र विकसित किया है अथवा विकसित करने का विचार है;
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और
(ङ) अवैध ऑफशोर गेमिंग प्रचालनों को रोकने के लिए इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और अन्य संबंधित प्राधिकरणों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद)

(क) से (ङ): केंद्र सरकार की नीतियों का उद्देश्य अपने उपयोगकर्ताओं के लिए मुक्त, सुरक्षित, विश्वसनीय और जवाबदेह इंटरनेट सुनिश्चित करना है। अवैध/अनुपालन न करने वाली गेमिंग संस्थाओं द्वारा की जाने वाली हानियों की समस्या को दूर करने के लिए केंद्र सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

- जीएसटी आसूचना महानिदेशालय मुख्यालय को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 ("आईटी अधिनियम") और आईजीएसटी अधिनियम के तहत उपयुक्त सरकार/एजेंसी के रूप में अधिकार प्राप्त है, ताकि उसके द्वारा मध्यस्थों को आईजीएसटी अधिनियम का उल्लंघन करने वाले ऑफशोर ऑनलाइन मनी गेमिंग प्लेटफॉर्म सहित अपंजीकृत ऑनलाइन मनी गेमिंग प्लेटफार्मों को अवरुद्ध करने के लिए निर्देशित किया जा सके।
- ऑनलाइन मनी गेमिंग के आपूर्तिकर्ताओं को भी एकीकृत वस्तु और सेवा कर अधिनियम, 2017 ("आईजीएसटी अधिनियम") के तहत विनियमित किया जा रहा है। उन्हें आईजीएसटी अधिनियम में विनिर्दिष्ट सरलीकृत पंजीकरण योजना के तहत एकल पंजीकरण कराना आवश्यक है।
- ऑनलाइन गेमिंग पर 1 अक्टूबर, 2023 से 28% की दर से जीएसटी लागू किया गया है।

वर्ष 2022 से जून 2025 तक, सरकार ने ऑनलाइन सट्टेबाजी/जुआ/गेमिंग वेबसाइटों और मोबाइल एप्लिकेशन से संबंधित 1,524 अवरोधन निर्देश जारी किए हैं।

संविधान की सातवीं अनुसूची के अंतर्गत "सट्टेबाजी और जुआ" राज्य का विषय है (सूची II की प्रविष्टि 34)। इसलिए, संविधान के अनुच्छेद 162 के साथ पठित अनुच्छेद 246 के प्रावधानों के अनुसार, राज्य विधानमंडलों के पास सट्टेबाजी और जुए से संबंधित मामलों पर कानून बनाने का अधिकार है।

इसके अतिरिक्त, भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार पुलिस और लोक व्यवस्था भी राज्य के विषय हैं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अवैध सट्टेबाजी और जुए पर कार्रवाई सहित अपराधों की रोकथाम करने, उनका पता लगाने, जांच-पड़ताल करने और अभियोजन हेतु प्राथमिक रूप से उत्तरदायी हैं।

केन्द्र सरकार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की कानून प्रवर्तन एजेंसियों (एलईए) के क्षमता निर्माण के लिए विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत परामर्शी निदेशों और वित्तीय सहायता के माध्यम से उनके प्रयासों को बढ़ावा देती है।

*****